कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान

पत्रांक....569........./

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सीवान।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
सीवान।

सीवान, दिनांक......13-06-18.

विषय माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 309 दिनांक 12.06.18 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 564 दिनांक 11.06.18 द्वारा निर्गत पत्र एवं पूर्व के सभी पत्रों के इस आशय तक संशोधित किया जाता है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 309 दिनांक 12.06.18 द्वारा प्राप्त निदेश का ही अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अनु0 :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सीवान।
13/6/18

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन'
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (अररिया को छोड़कर)
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA) (अररिया को छोड़कर)

पटना, दिनांक 12.06.2018

विषय : माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभिन्न जिलों से दूरभाष पर प्राप्त सूचना एवं उनके द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 234 दिनांक 26.04.2018 द्वारा निर्धारित समय तालिका में संशोधन निम्नवत् किया जाता है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन एवं उसपर आपत्ति का आमंत्रण	16 जून, 2018 तक
2	आपत्ति का निराकरण	20 जून, 2018 तक
3	अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन	25 जून, 2018 तक
4	मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना	26 जून, 2018 से 30 जून, 2018 तक
5	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा उपलब्ध कराना	03 जुलाई, 2018 तक

निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय संकल्प 51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानों एवं विभागीय पत्रांक 264 दिनांक 18.05.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा विद्यालय में उपलब्ध कराने की कार्रवाई सम्पन्न की जाय।

विश्वासभाजन

12/6/2018

(राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन')
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 309 पटना, दिनांक 12.06.2018

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी (अररिया को छोड़कर)/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/6/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 309 पटना, दिनांक 12.06.2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विभागीय बेवसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

12/6/2018

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

E:\Sec.Edu\Office Letter (SEC.DIRECTOR-R). 486